Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 635/2025, Abadpur P.S. Case No.- 31/2025
Nurful and others V/s. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 635/2025
Abadpur P.S. Case No.- 31/2025

1. नुरफुल पिता मोकीमुद्दीन, उ0त0 22 वर्ष,
2. बिल्केस खातून पति मनवर, उ0त0 35 वर्ष,
3. फरजुना खातून पति अनवर, उ0त0 22 वर्ष
4. मोकीमुद्दीन पति स्व0 जैनुद्दीन, उ0त0 56 वर्ष

साकिन– बल्दियागाछी, थाना– आबादपुर,
जिला कटिहार.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः मो0 .....संजय कुमार सिंह।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 15-05-2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 27.04.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता संजय कुमार सिंह द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी यह है कि परिवादिनी जुलेखा खातुन द्वारा दाखिल परिवाद पत्र संख्या–373/2025 के आधार पर आबादपुर थाना कांड संख्या–31/2025 दिनांक 10.04.2025 भा0न्या0सं0 की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109, 305, 76, 308(2), 89, 324(4), 324(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया हैं। परिवाद पत्र के अनुसार दिनांक 28.02.2025 को साढ़े ग्यारह बजे सभी अभियुक्तगण एकजुट होकर हाथ में लिए हरवे हथियार से लैश होकर परिवादिनी के घर से सटे जमीन पर आकर जमीन के घेरा को फेंककर मिट्टी को फेंकने लगे परिवादिनी द्वारा मना करने पर सभी अभियुक्तगण परिवादिनी पर टूट पड़े जिससे परिवादिनी दौड़कर अपने घर के अन्दर घुस गई तो अभियुक्तगण उसका पीछा करते हुए घर के अन्दर घुसकर उसका झोटा पकड़कर बाहर निकाले। परिवादिनी को कमरा से बाहर निकाल कर साड़ी, साया, ब्लाउज फाड़कर अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने के नियत से लात, मुक्का मारते हुए कहने लगे की साली को जान से मार दो। जिस पर नुरफुल एवं बिलकेस ने परिवादिनी का गला दबाने लगे जिससे परिवादिनी की गर्भवती लड़की अरबिना खातुन बचाने आयी तो उसके साथ भी लात, मुक्का, लाठी–डण्डा से मारपीट किये। हल्ला होने पर ग्रामीणों के जुटने पर परिवादिनी एवं उसके लड़की की जान बची।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता संजय कुमार सिंह द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से इसके पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1422/25 दाखिल किया गया था जिसे वापस ले लिया गया है उसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा एवं बनावटी है। आवेदकगण के विरूद्ध मनगठंत आरोप लगाया गया हैं। आवेदकगण स्थानीय और विश्वसनीय जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है तथा वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि परिवादिनी जुलेखा खातुन द्वारा दाखिल परिवाद पत्र संख्या–373/2025 के आधार पर आबादपुर थाना कांड संख्या–31/2025 दिनांक 10.04.2025 भा0न्या0सं0 की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109, 305, 76, 308(2), 89, 324(4), 324(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी में अभियुक्तों को कोई अपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है तथा जख्मीयों का जख्म कठोर एवं कुंद पदार्थ से साधारण प्रकृति का पाया गया हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के कम में आवेदकगण को बंध पत्र पर मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 41/25 दिनांक 27.04.2025 भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 76, 352, 351(2), 3(5) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया हैं। कांड दैनिकी एवं आरोप पत्र के आधार पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध दिनांक 05.06.2025 को भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 76, 352, 351(2), 3(5) के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा अभियुक्तों के विरूद्ध समन एवं जमानतीय अधिपत्र का आदेश पारित किया गया हैं। कांड दैनिकी के कंडिका 5, 6, 7, 8 के अनुसार उभय पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर घटना घटित हुई है तथा उभय पक्ष विवादित जमीन पर अपना–अपना दावा करते है।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र तथा भा0 द0 सं0 की धारा 438(2) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
15.05.2026

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	15-05-2026
Date of Reserving order	15-05-2026
Date of uploading	15-05-2026
Uploaded by	

Scanned with OKEN Scanner